



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE
आयकर विभाग/ INCOME TAX DEPARTMENT
OFFICE OF THE INCOME TAX OFFICER
WARD 10(3),HYDERABAD



सेवा में/ To, SILVER OAK REALTY 5-4-187/3 AND 4, IIND FLOOR SOHAM MANSION ,M.G ROAD SECUNDERABAD 500003 ,Telangana India			
स्थायी लेखा संख्या/ PAN: AAJFM0647C	निर्धारण वर्ष/ AY: 2017-18	नोटिस संख्या / Notice No.: ITBA/AST/S/143(2)_1/20 19-20/1016447812(1)	दिनांक/ Dated: 21/06/2019

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन नोटिस

Notice under section 143(2) of the Income-tax Act, 1961

संवीक्षा (कंप्यूटर आधारित संवीक्षा चयन)

Scrutiny (Computer Aided Scrutiny Selection)

महोदय/महोदया/ मेसर्स,

Sir/ Madam/ M/s,

आपको सूचित किया जाता है कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के पावती संख्या 279068931311017 के अनुसार आपके द्वारा दिनांक 31/10/2017 को दाखिल की गई आयकर विवरणी को संवीक्षा के लिए चुना गया है।

This is for your kind information that the return of income filed by you for assessment year 2017-18 vide ack. no. 279068931311017 on 31/10/2017 has been selected for Scrutiny.

2. इस संबंध में, आपको दिनांक 04/07/2019 को 02:30 PM तक साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा साक्ष्य प्रस्तुत कराने का अवसर प्रदान किया जा रहा है जिस पर आप उक्त आयकर विवरणी के समर्थन में निर्भर हैं/रहेंगे।

2. In this regard, an opportunity is being given to you to produce or cause to produce any evidence on which you may like to rely in support of the said return of income by 04/07/2019 at 02:30 PM.

3. उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रमाण / सूचना को आपको ऑनलाइन माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में incometaxindiaefiling.gov.in पर अपने ई-फाइलिंग खाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। बाद की निर्धारण कार्यवाही भी आयकर विभाग की 'ई-कार्यवाही' सुविधा द्वारा की जाएगी। 'ई-कार्यवाही' पर एक संक्षिप्त नोट आपके संदर्भ के लिए संलग्न है।

3. The evidence/information specified above has to be furnished online electronically through your E-filing account in incometaxindiaefiling.gov.in. Subsequent assessment proceedings shall also be conducted electronically through the 'E-Proceeding' facility of Income-tax Department. A brief note on 'E-Proceeding' is enclosed for your kind reference.

4. निर्धारण कार्यवाही के दौरान, यदि आवश्यक होगा तो सूचना / दस्तावेज हेतु विशेष प्रश्नावली (यों) या अधियाचना (यों) को बाद में जारी किया जाएगा।

4. In course of assessment proceedings, if required, specific questionnaire(s) or requisition(s) for information/document shall be issued subsequently.

5. कृपया ध्यान दें कि यदि आपके पास ई-फाइलिंग खाता है तो आपके लिए पैरा 3 लागू है। आपके द्वारा स्वयं अपना खाता न बना लेने

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
J T TOWER, AC Guards, Masab Tank, HYDERABAD, Andhra Pradesh, 500004
Email: HYDERABAD.ITO10.3@INCOMETAX.GOV.IN,



AAJPM0047C- SILVER LINE FEB 11
A 7 2017 12
11024510014 000 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

तक निर्धारण कार्यवाही आपके द्वारा वर्णित की गई ई-मेल के माध्यम से या मैन्युअल रूप से (यदि ई-मेल उपलब्ध नहीं है) की जाएगी।

5. Please note that para 3 is applicable if you have an E-filing account. Till the time such an account is created by you, assessment proceedings shall be carried out either through your specified e-mail account or manually (if e-mail is not available).

संलग्नक : यथोपरि

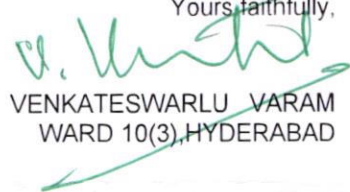
Enclosure : as above

सील/Seal



भवदीय,

Yours faithfully,


VENKATESWARLU VARAM
WARD 10(3), HYDERABAD

'ई-कार्यवाही' पर ध्यान दें

Note on 'E-Proceeding'

1. ई-गवर्नेंस पहल के एक हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही ने निर्धारण कार्यवाही के संचालन की सुविधा के लिए, आयकर विभाग ने 'ई-कार्यवाही' सुविधा विकसित की है। निर्धारण कार्यवाही के संचालन के लिए आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, परेशानी मुक्त तरीके से विभाग और निर्धारिती के बीच संचार का यह एक आसान तरीका है। यह नई सुविधा पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि निर्धारण कार्यवाही अब बिना पेपर की (पेपरलेस) बन गई है।

1. As a part of e-governance initiative, to facilitate conduct of assessment proceedings electronically, Income-tax Department has developed the 'E-Proceeding' facility. It is a simple way of communication between the Department and assessee in a hassle free manner, through electronic means, without the necessity to visit Income-tax Office for conduct of assessment proceedings. This new facility is also environment friendly as assessment proceedings have now become paperless.

2. 'ई-कार्यवाही' कार्यक्षमता के माध्यम से निर्धारण कार्यवाही में, निर्धारिती के ई-फाइलिंग खाते में निर्धारण अधिकारी से पत्र, नोटिस, प्रश्नावली, आदेश इत्यादि का एक निर्बाध प्रवाह है। विभागीय पत्राचार प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारिती अपने संलग्नकों के साथ, यदि कोई है, अपनी प्रतिक्रिया ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा। निर्धारिती द्वारा दाखिल किया गया जवाब निर्धारण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से देखा जाता है। इस प्रकार करदाता का बहुमूल्य समय बचाने के अलावा, निर्धारण कार्यवाही के दौरान विभागीय प्रश्नों के जवाब जमा करने के लिए ई-कार्यवाही 24x7 कभी भी / कहीं भी सुविधाजनक सुविधा प्रदान करती है।

2. In assessment proceedings through the 'E-Proceeding' functionality, there is a seamless flow of letters, notices, questionnaires, orders etc. from Assessing Officer to assessee's E-filing account. On receipt of Departmental communication, assessee is able to submit his response along with attachments, if any, by uploading the same on the E-filing portal. The response submitted by the assessee is also viewed by the Assessing Officer electronically. Thus, besides saving precious time of the taxpayer, E-Proceeding' also provides a 24X7 anytime/anywhere convenient facility to submit response to the Departmental queries in course of assessment proceedings.

3. 'ई-कार्यवाही' सुविधा के माध्यम से की गई कार्यवाही के अन्तर्गत, निर्धारिती निर्धारण कार्यवाही के दौरान की गई सभी ई-सबमिशन (प्रस्तुत) की सम्पूर्ण सूचनाएं ई-फाइलिंग खाते में रख सकता है जो संदर्भ और रिकॉर्ड उद्देश्य के लिए बहुत उपयोगी है।

3. In proceedings being carried out through the 'E-Proceeding' facility, assessee retains complete information of all e-submissions made during the course of assessment proceedings in his E-filing account which is very useful for reference & record purposes.

4. 'ई-कार्यवाही' के तहत मामलों में, निम्नलिखित परिस्थितियों में सुनवाई मैन्युअल रूप से आयोजित की जा सकती है :

- i. जहां खातों की पुस्तकों की जांच की जानी चाहिए; या
- ii. जहां आयकर अधिनियम की धारा 131 के प्रावधान, 1961 लागू किया गया है; या
- iii. जहां गवाह से पूछताछ निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती है; या
- iv. जहां किसी भी प्रतिकूल दृश्य पर विचार करने वाला एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और मामले की व्याख्या करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारिती अनुरोध करता है।

4. In cases under 'E-Proceeding', hearing may be conducted manually in following situation(s):

- I. where books of accounts have to be examined; or
- II. where provision of section 131 of Income-tax Act, 1961 has been invoked; or
- III. where examination of witness is to be made by assessee or Assessing Officer; or
- IV. where a show-cause notice contemplating any adverse view is issued and assessee requests for personal hearing to explain the matter.